

भाग-III

शामा से रमाडी - तेजम मो0 मा0 से डागती तक मोटर मार्ग - 6.00 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 15785/2015)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं।<br><br>प्रस्तावित 6.00 किमी0 की लम्बाई में कुल 51 बॉज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 26.08.2016 के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है। |
| 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट- II में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।                                                                                                     | हाँ।<br><br>सहमत।                                                                                                                                                                                                                                |
| 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।                                                                                        | जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।                                                                                                                                                                                                     |

दिनांक:- 03.09.2016

स्थान:-अल्मोड़ा।

वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा